न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2017-00142RAAJodhpur2017-120RTA225 Ridmalsingh ors Vs Daulatsingh etc

रिडमलसिंह पुत्र श्री सांगसिंह जाति राजपूत, निवासी– अनोपनगर, देचू, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. दौलतसिंह पुत्र हरिसिंह
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र दौलत सिंह
3. रतन सिंह पुत्र दौलत सिंह
4. नारायण सिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह
5. हुकम सिंह पुत्र श्री तखत सिंह
6. टीकू कंवर पत्नी श्री तख्तसिंह
7. उगम सिंह पुत्र श्री मुकन सिंह
8. जीवराज सिंह पुत्र श्री उदय सिंह
9. सुमेर सिंह पुत्र श्री उदय सिंह
10. नरपत सिंह पुत्र श्री उदय सिंह
11. अंजु देवी पत्नी श्री उदय सिंह
12. राम सिंह पुत्र श्री सबल सिंह
13. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सबल सिंह
14. मनोहर सिंह पुत्रश्री सबल सिंह

    सभी जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण– कानोडिया पुरोहितान्, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
15. सांगीदास पुत्र श्री जेठमल जाति महाजन
16. मोतीलाल पुत्र श्री जेठमल, जाति महाजन

    निवासीगण– देचू, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 जून 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2014 रिड़मलसिंह व अन्य बनाम दौलसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री माणकलाल चाण्डक, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 15 व 16

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 11 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2014 रिड़मलसिंह व अन्य बनाम दौलसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 जून 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 15 व 16 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा नं. 761/1 रकबा 21.02 बीघा, खसरा नं. 768 रकबा 0.02 बीघा गैर मुमकिन ढाणी मौजा अनोपनगर एवं रेस्पोडेंट संख्या 15 व 16 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 748 रकबा 62.06 बीघा मौजा देचू में आवागमन हेतु रेस्पोडेंट संख्या एक से चौदह की खातेदारी भूमि खसरा नं. 760, 773, 791 में सें 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जून 2017 के जरिये अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या पन्द्रह व सोलह का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 760/1 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 768 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी में आवागमन हेतु राजस्व ग्राम अनोपनगर के खसरा नंबर 773 की पड़त भूमि एवं रेस्पोडेन्ट से 01 से 14 के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 760 की माठ के पास से होकर रास्ता चलता है जो मेगा हाईवे जोधपुर से जैसलमेर कि ओर रोड़ चलती है, उससे मिलान होता है तथा राजस्व ग्राम अनोप नगर से एक कटाणी रास्ता जो नक्शा में दर्ज है जो मेगा हाईवे रोड से मिलता है। अपीलान्ट अपनी खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि से राजस्व ग्राम अनोप नगर आने जाने, फसल के लिये खाद बीज आदि डालने के लिये ट्रक व बुआई के लिये ट्रेक्टर के लिये इसी रास्ते का वर्षों से उपभोग कर रहा है। अपीलान्ट के आवागमन का यही एकमात्र रास्ता है। उक्त रास्ता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर ना कर फरमाकर विधिक भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 14 अपनी मनमर्जी उक्त रास्ता बन्द कर देते है, तब अपीलान्ट के द्वारा गांव के मौजिज व्यक्तियों को लाने के बाद रास्ता खोलते है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को प्रतिदिन आवागमन हेतु बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण अपीलान्ट को आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 760 व 791 एवं खसरा नम्बर 773 की पडत भूमि की माठ के सहारे–सहारे मेगा हाईवे तक 20 फुट कटाण रास्ता दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 की ओर से दिनाक 06.02.2015 को जवाब प्रस्तुत कर दिया एवं दिनांक 17.04.2015 को वादग्रस्त भूमि में रास्ता बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतू तहसीलदार को तहरीर जारी की गई जो छः से सात तारीख पेशी के पश्चात करीब 5 माह बाद दिनांक 04.09.2015 को मौका रिपोर्ट पेश की गई तथा उसी दिन अधिवक्ता अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोडेन्ट कि ओर से दिनाक 29.09.2015 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र विचाराधीन थी। दिनांक 29.09.2015 से दिनांक 30.05 2017 तक बहस प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की सुनवाई नही हुई। दिनांक 24.06.2017 को पत्रावली कोर्ट कैम्प में नियत कर प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट का मूल प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कोर्ट कैम्प में नियत करने बाबत् अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस व सूचना नहीं थी, जबकि कोर्ट कैम्प की सूचना दी जाना कानूनन आवश्यक है। तहसीलदार शेरगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनाक 04.09.2015 में अपीलान्ट के आने–जाने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 के खातेदारी भूमि में स्पष्ट रूप से रास्ता बताया था तथा रास्ता होना वर्णित किया था तथा उक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद किसी भी पक्षकार ने दोबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.06.2017 को अपनी स्वेच्छा से मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत तहसीलदार के नाम तहरीर जारी की गई, जबकि पक्षकारान को सुने बिना अपनी स्वेच्छा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से मौका रिपोर्ट नहीं मंगवा सकते, क्योंकि रिपोर्ट पहले से पत्रावली में मौजूद है तथा तहसीलदार शेरगढ़ ने मौके पर गये बिना ही कोर्ट कैम्प में ही बैठे बैठे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बनावटी एवं लिखावटी मौका रिपोर्ट तैयार कर उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी तथा अधिनस्थ न्यायालय ने भी उसी दिन उक्त दिखावटी एवं बनावटी मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इस कारण अपीलाधीन निर्णय बहाल रखा जाना कतई न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाना कानूनन न्यायोचित है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री विकास राजपुरोहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 के बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार है। पीठासीन अधिकारी का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 के घर में ननिहाल है। श्री विकास राजपुरोहित के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 सगे मामा दुर्गसिंह के पुत्रगण है। इसी कारण पीठासीन अधिकारी ने अपने ननिहाल पक्ष को अवैध तरीके से लाभ पहुंचानें कि नियत से एक ही दिन में मौका रिपोर्ट की तहरीर जारी करना उसी दिन मौका रिपोर्ट हाथो हाथ पेश होना एव उनी दिन निर्णय पारित किया जाना जबकि एक ही दिन में उक्त सम्पूर्ण कार्य विधिनुसार किया जाना कतई सम्भव नहीं है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बिना ही अपने ननिहाल पक्ष को लाभ पहुंचाने कि नियत से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि रेस्पोन्ट संख्या 1 से 14 पीठासीन अधिकारी के रिश्तेदार होने के कारण पीठासीन अधिकारी को उक्त प्रकरण सुनवाई करने का भी कानूनन कोई अधिकार नहीं था। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व्यायिक निर्णय की परिभाषा में ही नहीं आता है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये पत्रावली को लोक अदालत केम्प में रखकर अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट का अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जून 2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं माफिक अनुतोष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.06.2017 एवं मौका फर्द दिनांक 13.05.2015 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 761/1 में आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 760 एवं 791 में से होते हुए हाईवे तक संचालित है तथा मौके पर किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से कानूनन धारा 251–ए के तहत अपीलांट्स का आवेदन पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2014 रिड़मलसिंह व अन्य बनाम दौलसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 जून 2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर